

30-3-21

पत्रावली पेश हुई। वकील साहेब ने उपाय किया।
प्राची का प्रार्थनापत्र साबित होने पर खारिज
किया जाता है कि राय प्रदान से संकेत कायमाधान
से इफ्तलास मुकामा जमा खाता शामिल पाईल
किया गया। पत्रावली में मुकुमार होकर मन्वरे
काम होना यादिले दफ्तर से।

